न्यायालयः:सिविल जज (जू०डि०) सहसवान, जनपद-बदायूँ।

प्रकीर्ण वाद संख्या- /2026

रक्षापाल आदि बनाम राज्य उत्तर प्रदेश आदि।

11.03.2026

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ग मय शपथ पत्र 4ग वादी द्वारा धारा-80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध नोटिस दिये जाने से छूट प्रदान करते हये वाद दायर करने की अनुमति हेतु दिया गया है तथा कथन किया है कि चूँकि मामला अत्यन्त शीघ्रता का है। यदि विपक्षीगण के धारा-80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता का विधिक नोटिस दिया जाता है और उसकी कानूनी अवधि व्यतीत होने का इन्तजार किया जाता है तब विपक्षीगण अपने कृत्यों में कामयाब हो जावेंगे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदन पत्र 3ग के साथ संलग्न शपथ पत्र 4ग में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मामला आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में आवेदन पत्र 3ग, स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आवेदकगण को धारा-80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने से छूट प्रदान की जा सकती है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थना पत्र 3ग न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र 3ग न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। वाद प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली मुन्सरिम आख्या के उपरान्त दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०),
सहसवान, जनपद बदायूँ।

12.03.2026

यह वाद आवेदक द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा समयान्तर्गत है व प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त है।

अतः प्रकीर्ण वाद मूल वाद के रूप में दर्ज पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनाँक 15.04.2026 तथा वास्ते वाद बिन्दु विरचन दिनाँक 24.04.2026 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०),
सहसवान, जनपद बदायूँ

12.03.2026

वादी उपरोक्त के विद्वान अधिवक्ता को उनके आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता कागज संख्या 8ग पर एकपक्षीय रूप से सुना गया।

आवेदक उपरोक्त द्वारा अपने उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि "उपरोक्त वाद में संलग्न शपथ पत्र में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में दिये गये कारणों के आधार पर उक्त वाद के प्रतिवादीगण एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण की विवादित भूमि से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरिया बेदखल करने से व उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण उपभोग में मदाखलत करने से वर्जित किया दिया जावे।''

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण राज्य सरकार उ०प्र० व उसके प्राधिकृत कर्मचारीगण हैं तथा यह सुस्थापित विधि है। अतः पत्रावली तथा उसके साथ प्रस्तुत कागजों/प्रपत्रों के अवलोकन से न्यायालय के मत में प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण को बिना सुने, वादी को एकपक्षीय रूप से उसके उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना उचित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र 8ग के निस्तारण हेतु प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण पैरवी उभय प्रकार से अविलंब करे। प्रतिवादीगण नियत तिथि तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 8ग दिनाँक 15.04.2026 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०),
सहसवान, जनपद बदायूँ

12.03.2026

आवेदक द्वारा अपना अमीन कमीशन प्रार्थनापत्र कागज संख्या-10ग प्रस्तुत कर अमीन अदालत द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति/भूमि की मौके की स्थिति, नक्शा नजरी, माप मय दिशाएँ तथा वास्तविक भौतिक स्थिति जरिये अमीन अदालत कार्यवाही कराने हेतु तथा प्रतिवादीगण पर अमीन अदालत के माध्यम से नोटिस की तामीला हेतु प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय के मत में भूमि की स्थिति निर्धारण, पहचान व वास्तविक भौतिक स्थिति हेतु अमीन अदालत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

कमीशन अदालत प्रार्थनापत्र कागज सं०-10ग स्वीकार किया जाता है। अमीन अदालत को आदेशित किया जाता है कि वह नियत तिथि अथवा उससे पूर्व उभय पक्ष को सूचित कर वाद वर्णित विवादित भूमि उपरोक्त पर पहुंचकर उसकी वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर उस पर बने निर्माण, उसकी वस्तुस्थिति, माप मय दिशाएँ तथा आसपास की वस्तुस्थिति के संबंध में अपनी आख्या मय नक्शानजरी विधिपूर्ण निर्धारित स्केल पर नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज(जू०डि०),
सहसवान, जनपद बदायूँ